

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

रुद्ध अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट देसूरी (पाली)

बनाम मधुसूता कान्हा जावेर घात्री वर्जरे
वि. हाणराय वि. हुंकारुटा
कदमा राजलक्ष्मिवादा नम्बर 56 सन् 2012

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92A, 188 P.A.A

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

प्रतिवादीगण उपस्थित
प्रतिवादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92A, 188 P.A.A विरुद्ध
प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण जरिये
सम्मन तालब हो। पत्रावली वास्ते जवाब दाया दिनांक 20/7/12 को
पेश हो।

अमित
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

वकील वारीगण उज
वकील वारी लः 1, 2, 3, 8, 9 के सम्म वारीगण
उप। वारीगण लः 4, 5, 6 के सम्म
अदम वामीन जटे व वारीगण लः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
वावजूद वकील वारीगण के कउदावली वी
अज वीकार वीगली कउदावली वी वीरे
पर वीरवरे वी कउ. वकील वारीगण वीरवरे
दिलन दि 10/7/12 को देखा वी

अमित
वकील

वकील वारीगण उज
वकील वारी अज वी वकील वारी वीरे वीरे
अदम वीरे वीरे वीरे वीरे वीरे वीरे वीरे वीरे
की देखा वी अमित

520

28/3/24

वकील वादी अनुपस्थित / प्रतिवादी संख्या 4 के 7.
क्राधिकारता क्र 34 स्थित। वकील प्रतिवादी को
लाभ्य हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 29/5/24 वाली दिनांक
3/5/24 को पेश हो। बिबिध्या 121

3/5/24

पत्रावली पेश हुई। वादवादा स्थित/पितासहीन
अधिकारी को वास्तु होवे कथन
पत्रावली दिनांक 3/5/24 को पेश हो।

र/35

09/5/2024

वकील वादी अनुपस्थित मय गवाह वादी अनुपस्थित
रिबुल रिजिव हेतु साक्ष्य वादी उपस्थित नहीं है।
साक्ष्य वादी बंद। अधिवक्ता प्रतिवादी वगैरे अनुपस्थित
साक्ष्य प्रतिवादी अनुपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादी वगैरे
को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य
प्रतिवादी वगैरे अनुपस्थित हैं। को भी अधिवक्ता
एवं प्रतिवादी वगैरे मय अधिवक्ता बावजूद आवाजों के
अनुपस्थित रहने से वाद को अन्ततः कुमिल में
वाद वादी वगैरे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/5/2024 को सुनाया

गया। पत्रावली फुसल शुमार होकर
नम्बर में कम हो। बिबिध्या 121

9.5.2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देवगढ़ (राज.)